संख्या-137/2026/I/1501939/2026/71-1002/18/2023

प्रेषक,

हरीश कुमार,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर के आकस्मिक विभाग में पूर्व से स्थापित वातानुकूलन सिस्टम के स्थान पर नये वातानुकूलन सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु टेण्डर लागत के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2026-27/247, दिनांक 20.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु टेण्डर लागत उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-158/2024/1/816744/2024/71-1002/18/2023 पार्ट-3, दिनांक 10.12.2024 द्वारा लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर के आकस्मिक विभाग में पूर्व से स्थापित वातानुकूलन सिस्टम के स्थान पर नये वातानुकूलन सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 498.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 321.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर के आकस्मिक विभाग में पूर्व से स्थापित वातानुकूलन सिस्टम के स्थान पर नये वातानुकूलन सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10.12.2024 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 498.06 लाख को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में टेण्डर लागत **रू0 498.00 लाख (रू0 चार करोड़ अट्ठानवे लाख मात्र)** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 सपठित शासनादेश संख्या-5/2026/ए-2-आई/1365672/2026, दिनांक 18.06.2026 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

2. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायेगी।
3. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. यदि प्रश्नगत परियोजना में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।
6. मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-158/2024/1/816744/2024/71-1002/18/2023 पार्ट-3, दिनांक 10.12.2024 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

हरीश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरीश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in